

::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर::

—: सेवानिवृत्ति आदेश :—

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राचार्य-उमावि एवं समकक्ष के शिक्षा अधिकारियों को सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफ.डी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12(6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत अधिवार्षिकी आयु (60 वर्ष की) पूर्ण करने पर, निम्न सूची में (कॉलम संख्या-6 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्रसं	नाम कार्मिक सर्वश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
I	II	III	IV	V	VI
01	BHURA RAM BALAI (RJSR198934007943)	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL GHEGHOLI RAMGARH	JAIPUR	10-07-1963	31-07-2023

श्री भूराराम बलई के विरुद्ध सीसीए-16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही होने के कारण प्रारूप 6 प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1,2/प्रिंसिपल रिटायरमेंट/2023-24(अप्रैल-मार्च)/9237/358-367 दिनांक : 27-07-2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूच्यार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (संयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक।
4. संबंधित संयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. अनुभाग अधिकारी शालादर्पण को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावे।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी को व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावे।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.26 20:48:52 IST
Reason: Approver



::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

—: सेवानिवृत्ति आदेश :—

राजस्थान शिक्षा सेवा के **उप-प्राचार्य एवं समकक्ष** के निम्नांकित शिक्षा अधिकारियों को, सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12(6) वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत अधिवार्षिकी आयु (60 वर्ष की) पूर्ण करने पर, संलग्न सूची में (कॉलम संख्या-6 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्रं.सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री / श्रीमती	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
I	II	III	IV	V	VI
01	SHAMBHU DAYAL MEENA	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL JALODA KHATIYAN	KOTA	03-07-1963	31-07-2023
02	BUDDH RAJ SANKHALA	SHAKUNTALA DEVI PITALIYA GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDA	PALI	09-07-1963	31-07-2023
03	DULI CHAND PAREVA	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL RALAWATA BANDIKUI DAUSA	DAUSA	02-10-1963	31-10-2023
04	BABU LAL MEENA	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANMIN	UDAIPUR	05-10-1963	31-10-2023

उक्त उल्लेखित उप-प्राचार्य एवं समकक्ष अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/बी-1,2/45002/वाईस प्रिंसि.रिटा./2023-24(अप्रैल-मार्च)/9239/377-385 दिनांक: 27.07.23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (संयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक।
4. संबंधित संयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
6. अनुभाग अधिकारी शालादर्पण को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी को व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Kanar Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.26 20:50:56 IST
Reason: Approved

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--संशोधन-आदेश--

विभाग द्वारा जारी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति (प्राचार्य) (अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर) आदेश में, निम्नानुसार कॉलम संख्या-4 में उल्लेखितानुसार आंशिक संशोधन एतद् द्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	विभाग का पूर्व में जारी आदेश क्रमांक व दिनांक	नाम अधिकारी मय धारित पद व पदस्थापन स्थान	अपेक्षित आंशिक संशोधन
I.	II.	III.	IV.
1	शिविरा/मा/संस्था/सी-2/सेवानिवृत्ति/इति-वाणी/2023-24 दिनांक 13.03.2023	मेघराज मीना प्राचार्य, राउमावि चैनपुर जिला करौली	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 दिनांक 13.03.2023 में क्र.सं. 92 पर अंकित कार्मिक का वर्तमान पद व्याख्याता इतिहास के स्थान पर उप प्राचार्य पड़ा जावे।
2	शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/उपप्राचार्य/से.नि./23-24/2023/14 दिनांक 15.03.2023	विवेक चन्द शर्मा, प्राचार्य, राउमावि मुराली, राशमी चित्तौड़गढ़	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 दिनांक 15.03.2023 में क्र.सं. 44 पर अंकित कार्मिक का वर्तमान पद उप प्राचार्य के स्थान पर प्राचार्य पड़ा जावे।
3	शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/उपप्राचार्य/से.नि./23-24/2023/14 दिनांक 15.03.2023	भगवान सिंह जोशी, प्राचार्य, राउमावि मण्डरायल, करौली	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 दिनांक 15.03.2023 में क्र.सं. 70 पर अंकित कार्मिक का वर्तमान पद उप प्राचार्य के स्थान पर प्राचार्य पड़ा जावे।
4	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1,2/प्रिसिपल रिटायरमेन्ट/2023-24(अप्रैल-मार्च)/9237 दिनांक 29.06.2023	अणदराम प्राचार्य, राउमावि बन्धडा पांचू	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 दिनांक 29.06.2023 में क्र.सं.4 पर अंकित कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 30.09.1963 के स्थान पर 30.09.2023 पड़ा जावे।
5	शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/उपप्राचार्य/से.नि./23-24/2023/14 दिनांक 15.03.2023	प्रदीप कुमार शर्मा, प्राचार्य, राउमावि खूण्डा, करौली	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 दिनांक 15.03.2023 में क्र.सं. 74 पर अंकित कार्मिक का वर्तमान पदनाम उप प्राचार्य के स्थान पर प्राचार्य पड़ा जावे।
6	शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/10908/बी-2/सेवानिवृत्ति/23-24 दिनांक 10.03.2023	धूडाराम पडिहार, प्राचार्य, राउमावि खीचडो का बास, बाडमेर	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 दिनांक 10.03.2023 में क्र.सं. 108 पर अंकित कार्मिक का वर्तमान पद व्याख्याता हिन्दी के स्थान पर प्राचार्य पड़ा जावे।
7	शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/उपप्राचार्य/से.नि./23-24/2023/14 दिनांक 15.03.2023	रणू राजपुरोहित, प्राचार्य, राउमावि नेवरा गांव ओसिया	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 दिनांक 15.03.2023 में क्र.सं. 76 पर अंकित कार्मिक का वर्तमान पदनाम उप प्राचार्य के स्थान पर प्राचार्य पड़ा जावे।
8	शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/उपप्राचार्य/से.नि./23-24/2023/14 दिनांक 15.03.2023	असलम बेग, प्राचार्य, राउमावि भानीपुरा, पूगल बीकानेर	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश प्रारूप-6 दिनांक 15.03.2023 में क्र.सं. 77 पर अंकित कार्मिक का वर्तमान पदनाम उप प्राचार्य के स्थान पर प्राचार्य पड़ा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक.-शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1,2/45005/संशोधन.प्रिसि.रिटा./2023-24(अप्रैल-मार्च)/9253/396-407 दिनांक:-27/7/23

- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (संयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक।
- संबंधित संयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- अनुभाग अधिकारी शालादर्पण को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी को व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
- संबंधित संस्था प्रधान को आदेश की प्रति प्रेषित कर व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
- रक्षित/निजी पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.07.26 23:07:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4363008



::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर::

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

—: सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राचार्य-उमावि एवं समकक्ष के शिक्षा अधिकारी को सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12(6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत अधिवार्षिकी आयु (60 वर्ष की) पूर्ण करने पर, निम्न सूची में (कॉलम संख्या-6 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्त सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्रं.सं.	नाम कार्यिक सर्वश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
I	II	III	IV	V	VI
01	MUKESH CHAND JAIN (RJAL199102014974)	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL GHEGHOLI RAMGARH	ALWAR	18-07-1963	31-07-2023
02	MATADEEN KALYAN (RJJ1992023010953)	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL RAJASAR PANWARAN	CHURU	01-08-1963	31-07-2023
03	VIJAY RAMAWAT (RJB199105013368)	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL HAJANIYON KI DHANI MEETHDA (498459)	BARMER	01-09-1963	31-08-2023
04	BHANWER LAL JASAWAT (RJBW199108004841)	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL BICHHOR (224093)	CHITTORGARH	03-09-1963	30-09-2023
05	SARVESH KUMARI AGARWAL (RJDH198514022443)	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL SHEKHPUR GUJRAN (226900)	DHOLPUR	01-10-1963	30-09-2023

उक्त उल्लेखित प्राचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1,2/प्रिंसिपल रिलायरमेंट/2023-24(अप्रैल-मार्च)/9237

दिनांक : 27.07.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संबंधित सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (संयुक्त निदेशक) कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक।
- संबंधित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- अनुभाग अधिकारी शालादर्पण को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि शालादर्पण से संबंधित प्रविष्टियों पर अपडेशन सुनिश्चित करावें।
- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी को व्यक्तिशः पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें।
- संबंधित संस्था प्रधान।
- रक्षित/निजी पत्रावली।

सयुक्त निदेशक (समर्थक)
Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.26 20:48:53 IST
Reason: Approved